

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-


अधिसूचना संख्या 75/भू अ०

दिनांक : 27/11/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सिरसा, थाना-देवघर, थाना सं०- 672, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर बाईपस (रिंग रोड) पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-सिरसा, थाना-देवघर, थाना सं०-672, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 7.30 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	47	रैयती	धानी-1	0.21	अन्तरयामी चौधरी वो भूषण चौधरी पे० स्व० गुही चौधरी।	गौरसिं घा, नं० 671	ढोकाड ीह नं० 995	बाड़ा 675	नावाड ीह, नं 993
2	1	12	रैयती	धानी-1	0.33	तथैव।				
3	1	41	रैयती	धानी-2	0.43	तथैव।				
4	1	25	रैयती	धानी-2	0.20	तथैव।				
5	4	20	रैयती	धानी-2	0.03	देवेन्द्र चौधरी माता स्व० महा माया देवी वो सुनील चौधरी पे० स्व० वंशराज चौधरी।				
6	4	21	रैयती	धानी-2	0.07	तथैव।				
7	4	22	रैयती	बाड़ी-2	0.17	तथैव।				
8	4	23	रैयती	धानी-2	0.25	तथैव।				
9	4	26	रैयती	धानी-2	0.18	तथैव।				
10	4	27	रैयती	धानी-2	0.01	तथैव।				
11	5	42	रैयती	धानी-2	1.16	जानकी देवी पति स्व० शिवेश्वर पौदार वो कामदेव पौदार वो श्यामदेव पौदार वो रामदेव पौदार पे० स्व० बैजनाथ पौदार वो शुशील पौदार पे० स्व० बाबु साहेब पौदार।				
12	7	24	रैयती	धानी-2	0.35	कालेश्वर महतो वो नन्द लाल महतो पे० स्व० विशेषर महतो वो पिताम्बर महतो वो श्याम सुन्दर महतो पे० स्व० छोटी महतो वो योगेन्द्र महतो पे० स्व० कटी महतो।				
13	10	45	रैयती	धानी-3	0.02	ओझला देवी वो तारा देवी पे० स्व० महावीर चौधरी।				
14	10	46	रैयती	धानी-2	0.13	तथैव।				
15	10	40	रैयती	धानी-2	0.10	तथैव।				
16	11	67	रैयती	धानी-2	0.05	नकुल तांती वो सिकन्दर तांती पे० स्व० नुनमन ततवा वो दिलीप तांती पे० स्व० नगदी ततवा वो साहेगी देव्या पति स्व० कैसो ततवा वो हुरीया				

करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


23/1/18

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक / भू अ0, देवघर, दिनांक

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


23/1/18

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।